कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) भरतपुर संभाग, भरतपुर

मॉन्टेसरी स्कूल के पीछे, किला भरतपुर
Email Id - jdsebharatpur@gmail.com

क्रमांकः–संनि/स्कूलशि0/भरत/संस्था–1/फा–नियु0/2020–21/285 दिनांक 28–09–2021

पदस्थापन परामर्श सूचना (Councelling for Posting information)

RPSC वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 में चयनोपरान्त पदस्थापन हेतु भरतपुर संभाग आवंटित अभ्यर्थियो की काउन्सलिंग सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग ,अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा./संस्था/एफ–1 /12102/सी.ग. /व.अ.2018(विभिन्न विषय)/2020 दिनांक 24.09.2021 द्वारा पदस्थापन हेतु भरतपुर संभाग आवंटन किया जाने पर उक्त पत्र में वर्णित दिशा–निर्देशानुसार निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाएगा :–

परामर्श कैम्प स्थल :– कार्यालय संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा ,भरतपुर संभाग भरतपुर (टाउन हॉल के पास किला मान्टेशरी विद्यालय के पीछे, भरतपुर)

क्र.सं.	विषय	दिनांक	अभ्यर्थी संख्या	पंजीयन समय
1	सामाजिक विज्ञान	01-10-2021	01	प्रातः 09.30 बजे से 09.45 बजे तक

विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउंसलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा। सम्बन्धित कार्मिक अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श तिथि को कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी राज्य सरकार द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी की गई गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करेंगे। अभ्यर्थी मास्क पहनकर ही काउंसलिंग में उपस्थित हों एवं प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे।

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं रिक्त पदो की सूची विभागीय वेबसाईट पर संलग्न प्रदर्शित है।

वरीयता सूची का निर्धारण निम्न बिन्दुओं पर किया गया है :–

क्रम	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र/अभ्यावेदन
1	40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र
2	विधवा महिला	पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नही किए जाने का शपथ–पत्र 50/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर
3	परित्यक्ता महिला	सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नही किए जाने का शपथ–पत्र 50/– रू0 के स्टाम्प पेपर पर
4	एकल महिला (अविवाहित)	50/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग दिनांक तक अविवाहित होने का शपथ पत्र
5	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
6	पति–पत्नि प्रकरण (पूर्व से)	पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/ उपक्रम में भरतपुर सम्भाग (जिला भरतपुर,धौलपुर,करौली ,स0मा0) में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण–पत्रएवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण–पत्र
7	पति–पत्नि प्रकरण (वर्तमान भर्ती)	उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति–पत्नी दोनों के चयन होने एवं भरतपुर संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपत्ति में से किसी एक को प्राप्त उच्च वरियता के क्रमानुसार प्राथमिकता हेतु मेरिट के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण–पत्र
8	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री/वीरांगना)	सम्बन्धित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र एवं पुत्री की स्थिति मे अविवाहित होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
9	महिला अभ्यर्थी	–
10	अन्य शेष अभ्यर्थी	–

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को वरीयता निर्धारण में संशोधन/आपत्ति हो तो वह काउंसलिंग दिवस को ही प्रातः 09.30 बजे तक काउंसलिंग स्थल पर संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज (मूल एवं छाया प्रति) अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हों।

1. फोटो युक्त पहचानपत्र (आई0डी0) मूल एंव फोटो प्रति स्वयं अभ्यर्थी के दो पासपोर्ट साईज फोटो (आवेदन में चस्पा किये है)
2. समस्त दस्तावेजो की मूल एवं एक छाया प्रति स्वप्रमाणित एंव अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन के साथ संलग्न किये गये हो अथवा विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो इत्यादि से सम्बन्धित हो ।
3. आरक्षण सम्बन्धी दस्तावेज (अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण–पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए।

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छाया प्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित हों।

(रामकेश मीना)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर सम्भाग, भरतपुर

प्रतिलिपि:– सिस्टम एनालिस्टर, निदेशक मा0शि0 राजस्थान बीकानेर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु :–

संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग, भरतपुर

Scanned by CamScanner

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME OF CANDIDATE / FATHER NAME, HOME ADDRESS	DOB	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	CHEKING COUNTE	

कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–2018 विषय– सामाजिक विज्ञान मे चयनित अभ्यर्थियो के पदस्थापन हेतु आयोज्य काउन्सलिंग हेतु सूची

S.NO	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME OF CANDIDATE / FATHER NAME, HOME ADDRESS	DOB	SELE. CAT.	H. CAT.	OWN CAT.	CHEKING COUNTER	
1	261383	1578	SHRI BHAGWAN SINGH / ATAR SINGH, VILL. BHIMAKI, POST MITHAWALI THE. RAJAKHERA DIS. DHOLPUR 32805	15-11-1977	MBCM	EX	MB,EX	1	

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर

Scanned by CamScanner